

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 395/2011/कोटा.

2. अपील संख्या – 2110/2011/कोटा.

मैसर्स अग्रवाल फ्लोरिंग स्टोन सिंडीकेट,
माइन्स पीपाखेड़ी, रामगंजमण्डी.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा.

.....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या – 314/2012/कोटा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अग्रवाल फ्लोरिंग स्टोन सिंडीकेट,
माइन्स पीपाखेड़ी, रामगंजमण्डी.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

.....व्यवहारी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03/01/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील संख्या 395/2011/कोटा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 07/वैट/2010-11/झालावाड़ में पारित किये गये आदेश दिनांक 26.11.2010 व अपीलीय अधिकारी के अपील संख्या 01/वैट/2011-12/झालावाड़ में पारित किये गये आदेश दिनांक 03.08.2011 के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी व अपीलार्थी विभाग, दोनों द्वारा अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

2. तीनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान निहित होने से तीनों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कोटा स्टोन का खनन कर इसे वाणिज्यिक उपयोग हेतु तैयार कर विक्रय किया जाता है। इस खनन कार्य के लिये अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो प्लांट एण्ड मशीनरी खरीद की गयी थी, उस पर वेट अधिनियम की धारा 18 के तहत आई. टी.सी. का क्लेम केपिटल गुड्स के रूप में लिया गया था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी केवलमात्र खनन का कार्य करता है एवं खनन के कार्य के लिये प्रयुक्त होने

लगातार.....2

वाली मशीनरी केपिटल गुड्स की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होती है क्योंकि केपिटल गुड्स में केवल वे ही मशीनरी सम्मिलित योग्य होती हैं जो विनिर्माण के कार्य में प्रयुक्त होती है, जबकि अपीलार्थी व्यवहारी का कार्य खनन कार्य है जो विनिर्माण की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होता है क्योंकि खनन के कार्य से किसी भी तरह का विनिर्माण होकर किसी नई वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है अतः केपिटल गुड्स के रूप में क्लेम की गयी आई.टी.सी. को अस्वीकार किया गया था जिसकी अपीलीय अधिकारी द्वारा भी पुष्टि की गयी है।

4. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत की गयी उक्त बिन्दु पर क्लेम की गयी आई.टी.सी. को गलत क्लेम करने के आरोप में अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति भी आरोपित की गयी थी, जिसे अपीलीय अधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय के विधिक निर्णयों के आलोक में उचित नहीं मानकर अपास्त किया है जिसके विरुद्ध राजस्व द्वारा यह अपील संख्या 314/2012 प्रस्तुत की गयी है।

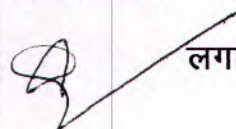
5. प्रकरण में विवाद का दूसरा बिन्दु अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर दिनांक 25.09.2008 को किये गये सर्वेक्षण से सम्बन्धित है जिसमें जांच पर फर्म के द्वारा जारी किये गये विभिन्न चालानों के जरिये जो माल स्टॉक यार्ड में भेजा जाकर बिक्री किया जाना बताया गया था, उस माल की बिक्री, बिक्री रजिस्टर से मिलान नहीं होने पर रुपये 32.32 लाख की बिक्री राशि पर कर रुपये 1.29 लाख, तदनुसार ब्याज तथा करापवंचन के आरोप में कर राशि की दुगुनी राशि शास्ति के रूप में आरोपित की गयी थी। सर्वेक्षण के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रथम बार दिनांक 25.02.2010 को धारा 25 के तहत जो आदेश पारित किया गया था, उस आदेश के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26.11.2010 को आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी की अपील सर्वेक्षण के बिन्दु पर करापवंचित बिक्री पर आरोपित कर एवं शास्ति को यथावत रखा गया था, इसी तरह केपिटल गुड्स की आई.टी.सी. क्लेम को अस्वीकार करने की भी पुष्टि की गयी थी तथा धारा 61(1)(बी) के तहत आरोपित की गई शास्ति की भी पुष्टि की गयी थी एवं अपील अस्वीकार की गयी थी। उसके पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूरे वर्ष का कर निर्धारण आदेश धारा 24 में दिनांक 01.02.2011 को पारित कर इसी अवधि के पूर्व में पारित किये गये आदेश दिनांक 25.10.2010 को सम्मिलित करते हुए पुनः केपिटल गुड्स की आई.टी.सी. को अस्वीकार किया गया एवं उसकी दुगुनी शास्ति भी आरोपित की गयी तथा सर्वेक्षण के मामले में असत्यापित बिक्री पर कर एवं ब्याज तथा करापवंचन के आरोप में शास्ति को भी पुनः आरोपित किया

लगातार.....3

गया था। इस तरह उक्त दोनों ही अपील संख्या 395/2011 व 2110/2011 एक ही अवधि से सम्बन्धित है जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम बार किये गये आदेश में अपील अस्वीकार की थी परन्तु दूसरी बार किये गये आदेश में आई.टी.सी. क्लेम के सम्बन्ध में धारा 61 की शास्ति को अपास्त किया गया है। इस तरह अपीलीय आदेश दिनांक 03.08.2011 के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी व विभाग द्वारा अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

6. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा केपिटल गुड्स के रूप में जो आई.टी.सी. क्लेम की गयी थी वह विधिसम्मत है क्योंकि उनके द्वारा माईन्स से जो माल खनन किया जाता है उस माल को पुनः फिनिश करके विक्रय किया जाता है जो निर्माण की परिभाषा में आता है अतः इसे निर्माण मानते हुए केपिटल गुड्स पर आई.टी.सी. प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा सर्वेक्षण दिनांक 25.09.2008 में जो माल चालानों के जरिये स्टॉक यार्ड में भिजवाया जाना बताया गया था एवं जिसकी बिक्री असत्यापित बताई गई वह माल वास्तव में स्टॉक यार्ड में ही रखा हुआ था, परन्तु उनके भागीदारों के बीच में विवाद होने के कारण लेखा-पुस्तकें प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो कर एवं शास्ति आरोपित की गयी है वह अपास्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने सुनवाई के दौरान भी लेखा-पुस्तकें प्रस्तुत करने में असमर्थता जाहिर की।

7. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश उस सीमा तक विधिसम्मत है कि केपिटल गुड्स पर आई.टी.सी. का क्लेम देय नहीं है क्योंकि व्यवहारी फर्म द्वारा कोई विनिर्माण का कार्य नहीं किया जाता है एवं केपिटल गुड्स में केवल वे ही मशीनरी सम्मिलित होती है जो विनिर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है अतः इस सीमा तक अपीलीय आदेश उचित है परन्तु गलत रूप से क्लेम की गई आई.टी.सी. को अस्वीकार करते हुए करापवंचन के आरोप में जो शास्ति आरोपित की गयी थी उसे अविधिक रूप से अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है जिसे बहाल किया जावे। इसके अलावा कथन किया कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल के सर्वेक्षण पर पाये गये चालानों से माल को स्टॉक यार्ड में भिजवाना बताया गया था परन्तु स्टॉक यार्ड में कोई स्टॉक नहीं पाया गया था ऐसी स्थिति में माल की उच्चन्ति बिक्री पर आरोपित किया गया कर, ब्याज एवं शास्ति उचित होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है फलतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

लगातार.....4

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

9. सर्वप्रथम केपिटल गुड्स पर आई.टी.सी. के क्लेम के सम्बन्ध में इसी फर्म के वर्ष 2006-07 के कर निर्धारण आदेश में भी खनन कार्य हेतु खरीद की गई मशीनरी को केपिटल गुड्स नहीं माने जाने के बावजूद अपील संख्या 675/2010/कोटा निर्णय दिनांक 13.04.2015 द्वारा विस्तृत आदेश पारित करते हुए यह निर्णय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा किया जा चुका है कि अपीलार्थी व्यवहारी को खनन कार्य हेतु खरीद की गई मशीनरी पर केपिटल गुड्स के रूप में आई.टी.सी. की पात्रता उपलब्ध नहीं है। उक्त निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

“उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा “कोटा स्टोन” के उत्खनन के लिये प्रयुक्त “केपिटल गुड्स” की खरीद पर अदा किये गये वैट का आगत कर का मुजरा चाहा गया है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 2(22) के तहत विनिर्माण, धारा 2(29) के तहत कच्चा माल एवं धारा 2(7) के तहत पूंजीगत वस्तुओं (केपिटल गुड्स) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जिन्हें अधिनियम में निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-

(22) "manufacture" includes every processing of goods which brings into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Government.

2(7) "Capital Goods" means plant and machinery including parts and accessories thereof, meant for use in manufacture unless otherwise notified by the State Government from time to time in the official Gazette.

2(29) "raw material" means goods used as an ingredient in the manufacture of other goods and includes processing material, consumables, preservative, fuel and lubricant required for the process of manufacture;

निर्माण की परिभाषा के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि माईनिंग में कोई पृथक एवं विशिष्ट रूप से भिन्न वस्तु नहीं निर्मित होती है, इसलिए माईनिंग/खनन को विनिर्माण की प्रक्रिया नहीं माना गया है।

1/1/11

1/1/11

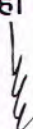
लगातार.....5

जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का प्रश्न है, उक्त हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि जहां तक खनन कार्य में प्रयुक्त मशीनों पर चुकाये गये कर का प्रश्न है, अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानान्तर्गत जो निम्नांकित है, आगत कर का मुजरा देय नहीं होने के कारण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त को अस्वीकार किया गया है।

अधिनियम की धारा 18.— Input Tax Credit. — (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of —

- (a) sale within the State of Rajasthan; or
- (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
- (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
- (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
- (e) being used as raw material, "*except those as may be notified by the State Government,*" in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or
- (f) "*being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale*" in the course of export outside the territory of India; or
- (g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section. (09.03.2011 से पूर्व की स्थिति में)

अधिनियम के उक्त प्रावधानानुसार कच्चे माल व पूंजीगत वस्तुयें, जो कि वि-निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त होंगी, उन्हीं पर ही आगत कर का मुजरा देय होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 2(7) में वर्णित "पूंजीगत वस्तु" की परिभाषा से स्पष्ट है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि निर्माण प्रक्रिया से अन्यथा प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं पर आगत कर का मुजरा संबंधी प्रावधान अधिनियम में नहीं हैं।"




लगातार.....6

10. अतः आई.टी.सी. के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

11. कैपिटल गुड्स पर क्लेम की गई आई.टी.सी. को करापवंचन का कृत्य मानते हुए जो शास्ति आरोपित की गयी है, उसे अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 03.08.2011 से अपास्त किया गया है, उसमें भी अपीलीय अधिकारी ने कोई त्रुटि कारित नहीं की है क्योंकि इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड इण्डस्ट्रीज, श्रीगंगानगर (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि आई.टी.सी. के क्लेम के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति में शास्ति का आरोपण उचित नहीं है क्योंकि व्यवहारी फर्म द्वारा समस्त संव्यवहार लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट करते हुए उसकी घोषणा विवरण-पत्रों में भी की गयी थी एवं यह मामला केवल क्लेम की देयता के विवाद से ही सम्बन्धित है, जिसमें करापवंचन किये जाने की कोई भावना प्रतीत नहीं होती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड इण्डस्ट्रीज, श्रीगंगानगर एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

12. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से दिनांक 25.09.2008 के सर्वेक्षण के समय पाये गये विभिन्न चालानों से विक्रय किये गये माल का सत्यापन बिक्री रजिस्टर से नहीं करवाया जा सका था एवं केवल मौखिक रूप से यह बताया कि यह माल स्टॉक यार्ड में पड़ा है, जबकि उसके सम्बन्ध में स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो चालानों से विक्रय किये गये माल को स्टॉक में होना प्रमाणित कर सके। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका एवं हमारे समक्ष भी सुनवाई तक कोई दस्तावेज या स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत करने में असमर्थता जाहिर की गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए बिना बिलों के की गयी बिक्री पर आरोपित किये गये कर, ब्याज एवं शास्ति की पुष्टि करने के अपीलीय आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।




लगातार.....7

—: 7 :-

1-3. अपील संख्या-395/11, 2110/11 व 314/2012/कोटा.

13. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत सभी तीनों अपीलें खारिज की जाती हैं।

14. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(क. एल. जैन)
सदस्य